न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/34/2018	31–10–2018	16–01–2019

1–शंकर पुत्र प्रभाती जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
2–रमेश पुत्र परभाती जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
3–किशनचंद पुत्र परभाती जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
4–पुरूषोत्तम पुत्र परभाती जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1–रज्जो उर्फ राजपाल सिंह पुत्र बलवन्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
2–ग्राम पंचायत सौंख पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।
3–तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री सुनील कुमार झालानी –वकील प्रार्थी
02. श्री मूलचन्द चौधरी –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार, कठूमर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी शंकर बनाम ग्राम पंचायत सौंख को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इंतकाल संख्या 701 व 697 का ग्राम पंचायत सौंख द्वारा दिनांक 20.08.2015 को बेजातौर पर स्वीकार किया गया था। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहां दोनों इंतकालों की अपील पेश की। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2017 को दोनों अपील स्वीकार कर दोनों इंतकाल निरस्त कर तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार निस्तारण करें। अप्रार्थी उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील पेश की गई। उक्त प्रकरण में तहसीलदार कठूमर द्वारा सुनवाई की जा रही थी। इस बीच प्रार्थियान को न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां विचाराधीन अपील की जानकारी प्राप्त हुई। जिसकी नकल दिनांक 02.05.2018 को प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील पेश कर रखी है और दूसरी ओर न्यायालय तहसीलदार कठूमर के यहां भी कार्यवाही करवा रहा है। जिस बाबत तहसीलदार कठूमर को भी अवगत करवाया गया किन्तु तहसीलदार द्वारा कार्यवाही को नहीं रोका गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गांव में भी ऐलानिया रूप से कहां जा रहा है कि मेरी तहसीलदार जी से बात हो गई है। मेरे हक में इंतकाल दर्ज कराकर रहुंगा। इसलिए प्रार्थियान को तहसीलदार कठूमर से निस्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.10.2018 को एक प्रा0पत्र पेश कर यह निवेदन किया गया कि उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

तब तक स्थगित रखा जाये जब तक की अपीलीय न्यायालय से प्रकरण को निस्तारण ना हो जाये क्योंकि वसीयत को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय में चैलेंज किया हुआ है और दूसरी ओर उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था किन्तु तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रा0पत्र पेश किये जाने पर गुस्सा हो गये और कहने लगे कि तुम्हारे प्रा0पत्र को मैंने खारिज कर दिया है। बहस करनी हो तो करो और नहीं करनी होतो मत करो। एकतरफा बहस सुनकर पत्रावली को निर्णय हेतु दिनांक 02.11.2018 पेशी नियत कर दी गईं। जिससे साफ जाहिर है कि तहसीलदार कठूमर द्वारा निस्पक्ष न्याय नहीं किया जा रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण बअनुवानी शंकर बनाम ग्राम पंचायत सौंख न्यायालय तहसीलदार कठूमर से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां विचाराधीन अपील में अभी तक ना तो कोई आदेश पारित हुआ और ना ही तहसीलदार कठूमर को उक्त कार्यवाही स्थगित किये जाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में कार्यवाही की जा रही है। मिन अप्रार्थी द्वारा कभी भी यह नहीं कहां कि मेरी तहसीलदार से बात हो गई है और ना ही यह कहां कि मैं अपने हक में इंतकाल दर्ज करा कर रहुंगा। तहसीलदार महोदय निस्पक्ष रूप से कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जानबूझकर देरी की जा रही है। प्रार्थीगण को कई बार बहस हेतु समय दिया गया है। लेकिन जानबूझकर बहस नहीं की जा रही है। मौजूदा प्रा0पत्र भी बहस प्रकरण में देरी करने के नियत से दायर किया गया है। मिन अप्रार्थी कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गया है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार कठूमर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार कठूमर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण इंतकाल नं0 701 व 697 ग्राम भदीरा उपखण्ड अधिकारी कठूमर से रिमाण्ड होकर सुनवाई होकर प्राप्त हुआ है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर से कोई स्थगन नहीं है तथा सिविल न्यायालय महोदय कठूमर द्वार भी कोई स्थगन नहीं दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है। प्रकरण में लगातार सुनवाई की जा रही थी। दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत् कार्यवाही की जा रही थी। फिर भी यदि पत्रावली अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल की जाती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जा चुकी है। अतः बहस सुनने के बाद पत्रावली को मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार कठूमर से मिलीभगत का कोई साक्ष्य सबूत प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) RAJ.

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)